Motion for consideration of National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023 (Motion adopted and Bill passed)

माननीय सभापति **:** आइटम नंबर 29 माननीय मंत्री जी ।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I rise to move:

?That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration.?

सभापति महोदय, इस बिल के बारे में मैं थोड़ी कोंटैक्स्ट सेटिंग करना चाहूंगा । वर्ष 1947 में दिल्ली शहर की आबादी 8 लाख थी । जब हमारा पहला सैंसेस वर्ष 1951 में आजादी के बाद हुआ तो दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख से बढ़कर 17 लाख 45 हजार के करीब पहुंच गयी । There was a massive demographic shift of population to Delhi as a result of the partition. उसके बाद दिल्ली की आबादी बढ़ती गयी और वर्ष 1991 में दिल्ली की जनसंख्या 94.2 लाख के करीब थी । वर्ष 2001 में यह 1 करोड़ 38 लाख हुई और जो हमारा पिछला और लेटेस्ट सैंसेस वर्ष 2011 का है, उसके हिसाब से यह 1.6 करोड़ है । सर, क्योंकि सैंसेस में महामारी के कारण थोड़ी देरी हो गयी और हमारी सैंसेस फिगर्स अगले एक साल के अंदर उपलब्ध होंगी तो हो सकता है कि यह दो करोड़ से ज्यादा हो और ढाई करोड़ के आस-पास भी हो सकती है । आने वाले समय में, अगले 12-13 वर्षों में जो हमारे सरकारी एस्टीमेट्स हैं, उसके अनुसार दिल्ली की जनसंख्या by 2036, it could even reach between 2.5 crore and 3 crore.

I am presenting a Bill. The situation is that Delhi in many ways is a *sui generis* situation; it is both the Capital city of India and also a big cosmopolitan city, and it is one of the major engines of growth insofar as economic activity is concerned.

What has happened over a period of time is that because there has been a large influx of populations from rural areas, semi-rural areas, tier-II and tier-III cities in Delhi, there has been a fairly substantial amount of unauthorised building activity, there have been encroachments resulting in a situation that, by 2006, on account of directives from the apex court, Delhi High Court and the Supreme Court, a process of sealing and demolitions commenced. The then Government in 2006 deemed it fit to bring a law which would provide protection against the sealing and demolition etc. Between 2006 and 2011, these laws were passed on an annual basis. To deal with these problems of encroachment on public land, growth of

slums, unauthorised colonies, and commercialisation of residential areas, there were attempts made by the previous Governments, specifically by the Governments in 1961, 1977, 2008 and 2012. But these attempts considering the nature of the problem and the extent of the problems were small and modest, and the problem remained largely unaddressed.

I must introduce a word of caution here. Sir, issues relating to the growth of slums and unauthorized colonies or for that matter encroachments cannot be dealt through inhuman orders or mass demolition and sealing. Therefore, the then Government in 2006 thought it fit to bring in a law to provide protection against such activities for one year. वर्ष 2006 और वर्ष 2011 के बीच, this protection was approved by the House year after year. From 2011, three years? extensions were sought. We were hoping that the Governments of the day would address the issue of unauthorized colonies in a systemic way because when influx of populations took place, a large number of people came in for a variety of reasons. Maybe because of the poverty of our policies, people started just occupying available land, cutting colonies and making those available. When we approached the Government of the National Capital Territory of Delhi, we were told कि इस पर काम हो रहा है और हम वर्ष 2014 के बाद इसी विश्वास में रहे, लेकिन जब हमें लगा और वर्ष 2019 में हमें बताया गया कि अभी दिल्ली की सरकार को जो सर्वे करवाने थे, चूँकि इस समस्या को कानून में बदलने की पॉलिटिकली दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी । वर्ष 2019 में हमें यह बताया गया कि इनको वेरीफिकेशन और काम कंप्लीट करने में और दो साल लगेंगे तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया । यूनियन कैबिनेट ने 23 अक्तूबर, 2019 को यह हिस्टोरिक डिसीजन लिया और हम प्रधान मंत्री अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ दिल्ली आवास अधिकार योजना,?पीएम उदय? लेकर आए ।

सर, वर्ष 2019 में हम यह कानून लेकर आए और इसके तहत कुछ काम शुरू हुआ, but almost immediately we had to face the pandemic. मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ और वह वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक रहा । यह जो स्कीम लाई गई है और इस पर जो काम हुआ है, उसके तहत हमारा असेसमेंट है कि अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ में जो हमारे भाई-बहन रहते हैं, वे लगभग 40 से 50 लाख के बीच हैं । अगर वहां पर 40 लाख की जनसंख्या है तो हमें रजिस्ट्रेशन्स 8 से 10 लाख के बीच में चाहिए । अभी तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन्स हुए हैं । Around 1,17,340 households? applications have been received. Authorization Slips/Conveyance Deeds have been issued to 20,881 households. So, clearly more needs to be done. हमने इसके लिए ?पीएम उदय मित्र? नाम से एक स्कीम बनाई है । पहले हर हफ्ते हमारे यहां 200 के करीब डोर टू डोर एफर्ट से कन्वेयंस डीड्स/ ऑथराइजेशन स्लिप्स इश्यू हो रहे हैं । उसके कारण अब प्रतिमाह उनकी संख्या 200 से बढ़कर 350 तक हो रही हैं । Development norms required for unauthorized colonies under the Master Plan of 2021 have also been notified in March, 2022. We expect this to trigger development of the colonies under In-Situ rehabilitation of JJ clusters. Out of these 675 JJ clusters in Delhi, 375

are of the DDA, और जो In-Situ स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, Kalkaji Extension has been completed and 3,024 EWS flats have been handed over. दो-तीन और कॉलोनीज़ हैं ? जेलर वाला बाग, अशोक विहार, कठपुतली कॉलोनी तथा शादीपुर । These are in various stages of construction and completion. Very soon, दिल्ली में प्रधान मंत्री आवास योजना का जो सीएलएसएस वर्टिकल मिशन है, उसके तहत लगभग 30 हजार बेनिफिश्यरीज़ हैं । They have availed of loans of about Rs. 693 crore as interest subsidy. सर, इस लॉ से जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, which is available till 31st December, we clearly need to extend that for another three years.

This is because otherwise, the population of Delhi which is vulnerable would be liable for sealing, demolitions and displacements. In addition, the final stages of notifying the Master Plan, 2041 has been reached. DDA and MCD are also required to adopt measures to finalise norms, policy guidelines, feasible strategies for making orderly arrangements to deal with the problem of encroachments and unauthorised colonies. ये सब कदम उठाए जा रहे हैं । My Ministry, the Ministry of Housing and Urban Affairs, has been in dialogue with the stakeholders to monitor the progress and different actions taken under the 2011 Act.

Therefore, I come before the House to seek approval to extend this protection by another three years, that is from 1st January, 2024 till 31st December, 2026. I submit and I place this Bill for approval by the House.

Thank you.

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

श्री रमेश बिधूड़ी **(**दक्षिण दिल्ली**):** सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक सेंसिटिव मुद्दा लाए हैं । इन्होंने 40 लाख लोगों की चिंता की है । पिछले 25-30 सालों से उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, उससे निजात दिलाने के लिए, जब तक वर्ष 2014 का मास्टर प्लान नहीं आएगा, तब तक के लिए उनको सुरक्षा देने के लिए The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023 सदन में लाया गया है । मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूं । मैं इसका समर्थन भी करता हूं ।

मैं आपके माध्यम से सदन और दिल्ली वासियों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं । केन्द्र सरकार हरदीप सिंह पुरी जी के नेतृत्व और माननीय मोदी जी के डायरैक्शन में पीएम उदय योजना के माध्यम से लगभग दो-ढाई लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा मालिकाना हक ले लिया है । कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि मोदी साहब जो कहते हैं, वह गारंटी पूरी होती है । वे लापरवाही में रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं । परंतु इसके अलावा भी दिल्ली सरकार का बजट 78 हजार करोड़ रुपए है । केन्द्र सरकार ने निगम और डीडीए के माध्यम से लगभग एक लाख

हजार करोड़ रुपए पिछले ढाई-तीन सालों में दिल्ली के विकास के लिए खर्च किये हैं । जैसे अमृत योजना इसमें केन्द्र से बजट जाता है । जिससे कॉलोनियों में सीवेज डलती है, नाले बनते हैं । उसमें 802 करोड़ रुपए की 44 योजनाएं चलाई जा रही हैं । मैं उनके लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद दूंगा । जब हम इनके पास योजनाओं को लेकर जाते हैं तो ये उन्हें तुरंत सैंक्शन करके दिल्ली सरकार को पैसा देते हैं । उसमें पांच लाख, 83 हजार जो लाइटें थीं, जिनमें बिजली ज्यादा कंज्यूम होती थी, वहां एलईडी लाइट लगाने का काम हुआ है ।

हमारा शहरी विकास मंत्रालय अमृत-2.0 योजना लेकर आया । अमृत 2.0 में 2,885 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 38 परियोजनाएं चालू हैं । इसमें जलाशयों का भी ब्यूटिफिकेशन शामिल है । माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हर लोक सभा क्षेत्र में ऐसे 75 जलाशय होने चाहिए, जिससे पानी का वाटर लेवल बढ़े और वातावरण स्वच्छ रहे । हमारे जौनापुर, भीम कॉलोनी में भी इस प्रकार के जलाशय का निर्माण हुआ । ऐसे तीन और जलाशयों का निर्माण केन्द्र सरकार के माध्यम से हुआ है ।

स्वच्छ भारत मिशन में भी 61 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 28,526 लोगों को ओपेने डेफिकेशन से बचने के लिए सीटीपीटी, जैसी शौचालयों का निर्माण राजधानी दिल्ली में पिछले सात सालों में कराया गया है । 107 वेस्ट टू कम्पोज प्लांट्स लगाने का काम केन्द्र सरकार की इस योजना से डीडीए और एमसीडी के माध्यम से हुआ है । पांच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आनंदमयी मार्ग पर लगे हैं, जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय गृह मंत्री गए थे । 342 करोड़ रुपए का जो गारबेज निकलता है, उससे बिजली बनाने के काम के लिए ये पांच प्रोजेक्ट्स भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में लगाए हैं । 51 एसटीपी प्लांट्स लगे हैं, जो 21,563 एमएलडी कचरे को कंज्यूम करते हैं और वे काम कर रहे हैं । स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रमुख रूप से अनाथ आश्रय बने हुए हैं, रात में गरीबों के रहने के लिए रैन सेंटर्स 216 बनाए गए हैं, वे 410 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं । वे भी दिल्ली में काम कर रहे हैं । ये केन्द्र सरकार के माध्यम से बनाए गए हैं । यहां बाहर से लोग आते हैं । बसे हुए लोगों को लगता होगा कि यहां विकास के कार्य कैसे हो रहे हैं? चूंकि, इनमें केन्द्र सरकार की डायरैक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है ।

मैं स्वनिधि योजना की जानकारी देना चाहता हूं । रेहड़ी, पटरी, खोमचा लगाने वाले गरीब आदमी, चाय की दुकान, ब्रेड की दुकान लगाने वाले, जिसका कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पीएम साहब ब्रेड पकौड़े की दुकान नौजवानों से खुलवाना चाहते हैं ।

ऐसे लोगों के लिए 199 करोड़ रुपये के 1.70 लाख ऋण प्रदान किए गए कि लोग गांव से शहरों की तरफ निकल कर आते हैं । वे लोग देश में शहरों की तरफ जैसे मद्रास, कोलकाता, बम्बई, बेंगुलरु हर जगह जाते हैं और दिल्ली में भी लोग रोजगार कर रहे है । ऐसे लोगों के लिए लोन की व्यवस्था है । मैं इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय को बधाई दूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छा के अनुसार इन्होंने 73 परसेंट ऋण दिया है । मैं एमसीडी के अधिकारी, बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने कैम्प लगा कर 73 परसेंट ऋण वितरण किया । दिल्ली शहर स्वनिधि योजना में लोन देने के लिए 9 वें स्थान पर है ।

सर, इसी प्रकार से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, एक तरफ तो शीश महल बनकर खड़ा हो जाता है, एक तरफ जो 70 गारंटियां दी थीं, उसमें 56 नंबर गारंटी में दिल्ली के एक बौने दुर्योधन साहब ने कहा था कि मैं सब को पक्के मकान झुग्गी-झोपड़ी में दूंगा । उन्होंने तो प्रयास नहीं किया, वह कोविड में भी अपना 50 करोड़ का शीश महल बनाते रहे, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसी रणनीति के तहत गोविंदपुरी में सात साल से जो

फ्लैट्स अटके, लटके पड़े थे, भूमिहीन कैम्प के निवासियों को 3024 फ्लैट्स बना कर उनको मालिकाना हक देने का काम किया । प्रधान मंत्री जी का वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है कि वर्ष 2027 तक देश के हर व्यक्ति के पास मकान होना चाहिए । उसकी शुरुआत हमारे शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से, केन्द्र सरकार के माध्यम से दिल्ली में की गई है । इसी प्रकार से 692 करोड़ रुपये की होम लोन पर सब्सिडी देने का काम किया है । दिल्ली में 29,976 परिवारों को 2.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिली है । इसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हर गरीब का अपना मकान हो ।

इसी प्रकार से गरीबों के परिवार बंट जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं, दो बच्चे हैं, दोनों की शादी करनी है, अपने मकान, प्लॉट का एफएआर बढ़ाना है, उस एफएआर का जो शुल्क था, हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में उसको अधिसूचित किया । ए और बी श्रेणी में लोगों का जो डेवलपमेंट चार्ज 18160 रुपये होता था, उसको घटाकर मात्र 4200 रुपये किया गया है । इसी प्रकार से सी और डी श्रेणी में रहने वाले जो लोग हैं**,** उनका डेवलपमेंट चार्ज 7264 रुपये हुआ करता था, उसको घटाकर 1680 रुपये किया गया है । वे अपने परिवार के एक्सपेंशन में यदि एफएआर बढ़ाना चाहें तो उनको ज्यादा शुल्क सरकार को नहीं देना पड़ेगा ।

इसी प्रकार से जो गांव, अनअथोराइज्ड कालोनीज़ में जनता फ्लैट्स के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी ई, एफ, जी, एच श्रेणी थी । उनका डेवलपमेंट चार्ज 3632 हुआ करता था, केन्द्र सरकार के माध्यम से उसको मात्र 840 रुपये किया गया है । इसलिए मैं पुन: इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं ।

सर, अगर मैं मेट्रो की बात करूं, तो दिल्ली के अंदर 4 फेज की मेट्रो वर्ष 2016 में चलनी थी, इसी दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक राजनीतिक द्वेष के कारण, दिल्ली के लोग जाम में मरें, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया । मैं श्री हरदीप सिंह पुरी को फिर धन्यवाद दूंगा । इस बात के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब वह उस बात के लिए एनओसी नहीं दे रहे थे, इन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की और प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि अगर दिल्ली का मुख्य मंत्री अपने हिस्से के पैसे नहीं देगा तो केन्द्र सरकार अपने पैसे से मेट्रो लेकर आएगी । 4 फेज की मेट्रो जो तुगलकाबाद?एयरोसिटी, लाला कुआं, तिगरी, खानपुर, कृष्णा पार्क, राजू पार्क, अम्बेडकर नगर, इग्नू कालोनी के रोड, सैदुलाजाब की है, उस मेट्रो रेल का काम आज करीब 52 परसेंट कम्पलीट हो गया है । 120 किलोमीटर तक मेट्रो चलाने का काम किया है ।? (व्यवधान) सर, यह दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है । मैं इसके लिए आपसे केवल दो मिनट और चाहूंगा । मैं अब अपनी कालोनियों की तरफ भी आना चाहता हूं । सर, अनथोराइज्ड कालोनीज के लोग 30 साल से संघर्ष कर रहे थे । उस समय बेचारे जो 40, 45, 50 साल के लोग थे, वे तो चले गए । उनके बच्चे भी इस तंज को झेलते थे कि कब हमारे सर पर तलवार लटक जाए । हमारे खून-पसीने की कीमत का पैसा, उस पर पता नहीं कब बुलडोजर चल जाए । वर्ष 2019 में हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने पीएम उदय योजना से मालिकाना हक देने का प्रयास किया । आज हम जो गारंटी की बात करते हैं, यहां पर माननीय सोनिया जी नहीं हैं, वे प्रतिपक्ष की नेता हैं । वर्ष 2008 में राम लीला मैदान में चुनाव से 6 महीने पहले एक ?* की और उन कालोनीज के आरडब्ल्यूए के लोगों को बुलाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया । वर्ष 2008 में चुनाव तो जीत गए, दोबारा सरकार बना ली कि सोनिया जी ने कहा है, इतनी बड़ी नेता ने कहा है, अब तो कालोनीज़ पास हो ही जाएंगी । लेकिन वर्ष 2013 तक उन कालोनियों की फिर सुध नहीं ली गई । केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट कर छोड़ दी गई । जब वर्ष 2013 में आए तो फिर इसी प्रकार की ? की । कुछ आरडब्ल्यूए के लोगों को बुलाया और एक प्रस्ताव विधान सभा में पास कर दिया । वर्ष 2018 में दिल्ली विधान सभा में दिल्ली के इस बौने दुर्योधन, इस ? ने ? किया था कि हम दिल्ली की सभी अनियमित

कालोनियों को इल्लीगल तरीके से पास करना चाहते हैं । इसलिए जो करीब 2396 अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं, वह वर्ष 1979 से 2015 तक बसी है ।

इन कॉलोनियों में रहने वाले जो 40 लाख लोग थे, वे सीवर, सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान थे । पहले कांग्रेस ने ...*** किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, जिसने इन कॉलोनीवासियों के साथ ... किया । वर्ष 2016 में, चुनाव में आने से पहले उन्होंने ...करके फिर से एक नयी बात बनानी शुरू कर दी । उन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के तहत अगले 5 वर्षों तक, जब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया है, तो हम वर्ष 2013 में चुनाव में जाने के बाद जब आएंगे, तो फाइल नं. 133/अन-अथॉराइज्ड कॉलोनी/अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी/ 2012549553 की जानकारी आम नागरिकों को होनी चाहिए । इतने फ्रॉड करने वाले लोग कैसे बैठे हैं, जिसने 895 अनियमित कॉलोनियों को पास करने का ढोंग रच दिया । ... * मैनेजमेंट कम्पनी की स्थापना हुई, जिसके डीन ... साहब हैं । इस डीन साहब ने 70 वायदों में से जो 56 वें नम्बर पर है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, यह कहा गया था कि एक वर्ष के अन्दर अनियमित कॉलोनियों को नियमित कर दूँगा, लेकिन आज तक वे कॉलोनियाँ नियमित नहीं हुई हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा । इतनी मेहरबानी कर दें कि और 40 लोगों के पास कर दें । पीएम-उदय योजना के लिए वर्ष 2019 में हमने उनको प्रोटेक्शन दे दी । जिस व्यक्ति का वहाँ प्लॉट है, कमरा बना हुआ है, उसका मकान बना हुआ है, डीडीए ने उसकी रजिस्ट्री कर दी । लेकिन अब अगर मैं उसको बनाता हूँ, तो उसको अन-अथॉराइज्ड माना जाता है और एमसीडी और एसडीएम ऑफिस के लोग उनको बुक कर देते हैं और वहाँ अवैध तरीके से उगाही होती है । इसे प्रोटेक्शन डेट को बढ़ाकर 2014 की बजाए 2022 कर देना चाहिए । इसका कारण यह है कि मैं उस प्लॉट का मालिक तो बन गया, मैं उस कॉलोनी में रह रहा हूँ, यह उन्हीं 1739 कॉलोनियों का पार्ट है, लेकिन मैंने मकान वर्ष 2018 में बनाया है, उसको एक्सटेंड किया है, तो वह अन-अथॉराइज्ड है, इसलिए उसको एमसीडी बुक कर देती है और उसका डिमॉलिशन करने पहुंच जाते हैं । यहाँ-वहाँ सुविधा शुल्क की मांग की जाती है । जब हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है । कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही वर्ष 2014 के बाद सरकार ने इनको प्रोटेक्शन देने का काम किया है । वर्ष 2022 तक अन-अथॉराइज्ड कॉलोनियों को प्रोटेक्शन देने के लिए अगर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, तो मैं इस बात के लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा । उन गरीब लोगों की तरफ से, माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है । उन खाली प्लॉट्स में जो 30-35 परसेंट हैं, मैं उन्हीं कॉलोनियों की बात कर रहा हूँ, जो 1739 कॉलोनियों के ही पार्ट हैं, मैं एक्सटेंशन की कॉलोनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, विदिन दीज कॉलोनीज, जो प्लॉट्स पड़े हुए हैं, उन पर जिसने वर्ष 2014, 2015, 2016 में जिसने बनाया है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस पर माननीय मंत्री जी जरूर विचार करें ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** श्री मनोज तिवारी - उपस्थित नहीं ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह बिल कल आना था । अगर यह बिल कल आ जाता, तो हम यहाँ पर बोल नहीं पाते क्योंकि सामने के लोग शोर मचा रहे थे । आज यह बिल आया है, इसलिए मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि हम इस बिल के ऊपर बोल पा रहे हैं ।

दिल्ली की जनता इसको समझेगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कितना बड़ा काम किया है । मैं प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ । जैसा कि अभी बताया गया कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और अभी 9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है । लगभग 22-25 सालों में, इन्होंने दिल्ली की एक भी कॉलोनी को पास नहीं किया । जैसे ही, भाजपा के, दिल्ली के विधायक और सांसद सभी साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गये और उनसे मांग की कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास किया जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख लोगों, जिनकी जिंदगी के ऊपर हमेशा तलवार लटकी थी, उसको हटाकर सारी कॉलोनियों को पास किया ।

मैं अभी सुन रहा था, कुछ सांसद कह रहे थे कि दिल्ली का बिल आया है, तो आपको बोलना है । मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल केवल दिल्ली के सांसदों के लिए नहीं है । चूंकि यह भारत की राजधानी है । भारत की राजधानी में सारे सांसदों के जिलों के, उनके क्षेत्रवासी, उनके वोटर्स, पूरी दिल्ली की कॉलोनियों में रहते हैं और सैंकड़ों की संख्या में रहते हैं । इसलिए यह जो बिल आया है, यह सभी सांसदों के लिए है । यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर झारखण्ड के लोग भी रहते हैं और यहाँ पर कश्मीर के लोग भी रहते हैं ।

अत: यह बिल सभी सांसदों के लिए है । आप सभी को इसका समर्थन करना चाहिए ।

मैं केवल आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं । ये जो बार-बार अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में कहते हैं, यह अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या है? अभी जैसे हमारे माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी कह रहे थे, हमारा देश जब आजाद हुआ, तो उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन सात-आठ लाख थी । उसके बाद, वर्ष 2001 में दिल्ली की पॉपुलेशन डेढ़ करोड हो गई । आज दिल्ली की पॉपुलेशन ढाई करोड़ हो चुकी है । आबादी बढ़ती जा रही थी, परिवार बढ़ते जा रहे थे, मगर दिल्ली में 50-60 साल पहले जो सरकार होती थी, जो भारत में कांग्रेस की सरकार होती थी या जो डीडीए डिपार्टमेंट होता था, दिल्ली में कोई पॉलिसी नहीं होती थी । अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपका परिवार बढ़ गया है, तो आज भी कोई पॉलिसी नहीं है ।

मैं माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी, भारत सरकार और हमारे डीडीए विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो नया मास्टर प्लान आ रहा है, आप उसमें नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ताकि लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड में उस कॉलोनी को पास करवाकर वहां मकान बनाएं, तो वह अनऑथराइज्ड नहीं बोला जाएगा । वह अधिकृत बोला जाएगा, ऑथराइज्ड बोला जाएगा । यह जो ?अनाधिकृत? वर्ड है, अगर किसी ने इसको खत्म करने का काम किया है, तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है ।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि जो काम कांग्रेस 50-60 साल के रूल में नहीं कर पाई, यह उनका सौभाग्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि ये सारे काम, इन सारे पाप को धोने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी के हाथों होना था, इसलिए, यह काम हुआ और ये सारी कॉलोनियां पास हुईं । ? (व्यवधान)

सर, मैं एक बार अपने गांव में गया था । वहां मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे बेटे की शादी होनी थी । लड़की वाले देखने आए, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी कॉलोनी पास है? जब उन्होंने कहा कि पास नहीं है, तो रिश्ता टूट गया । अगर आज इन सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में शादियां होने लग गई हैं, विकास होने लग गया है, तो उसका श्रेय भी हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है । ? (व्यवधान) ये सारे अच्छे काम होने लग गए ।

सर, चूंकि श्री मनोज तिवारी जी नहीं हैं, तो आप उनका समय भी मुझे ही दे दीजिएगा । मैं यह आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ।

सर, कांग्रेस ने खुद तो 60-70 सालों में कुछ किया नहीं और आज जब हम करने को आए हैं, तो आज भी ये चिल्लाते हैं, आज भी इनके पेट में दर्द हो रहा है । आज दिल्ली की कॉलोनियां पास हो रही हैं । वहां इनके रिश्तेदारों के भी प्लॉट होंगे, इनके एमएलए-मंत्रियों ने भी प्लॉट काटे हैं, कॉलोनियां काटी हैं । आज उसके भाव भी बढ़े हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने पास किया है, तो भी इन लोगों के पेट में दर्द होता है । आज भी ये हमारे हर काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं । कॉलोनियां पास करना हमारा काम नहीं था । यह काम केजरीवाल, शीला दीक्षित जी की दिल्ली सरकार का था । चूंकि उन्होंने कोई कॉलोनी पास नहीं की, इसलिए प्रधान मंत्री जी को आना पड़ा और उन्होंने सारी कॉलोनियां पास कीं ।

आज ये कॉलोनियां पास हो गई हैं । आज उनमें सीवर लाइन डालनी है, पानी की लाइन डालनी है, बिजली डालनी है, ये काम कौन करेगा? यह काम दिल्ली सरकार करेगी, केजरीवाल जी करेंगे, मगर वे भी यह काम नहीं कर रहे हैं । ये सारी कॉलोनियां पास होने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं । इसलिए, मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भारत सरकार इन कॉलोनियों में पानी की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, सीवर की लाइन डालने के लिए पैसे देती है और इनमें टॉयलेट्स बनाने के लिए भी पैसे देती है । वहां की सारी सुविधाओं के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है ।

सर, एक बार वर्ष 1996 में हाई कोर्ट ने सारी कॉलोनियों को तोड़ने का ऑर्डर कर दिया था । उस समय हमारी दिल्ली में सरकार थी । उस समय के हमारे मुख्य मंत्री डॉ. साहिब सिंह वर्मा जी हाई कोर्ट गए । उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि आज सरकारी वकील बहस नहीं करेगा, मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री बहस करूंगा । तब उन्होंने वहां बहस की, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर बदला । जो सारी कॉलोनियों के ऊपर बुल्डोजर चलने वाला था, अगर उसको बचाने का काम भी वर्ष 1996 में किसी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था । ? (व्यवधान)

सर, अब परिवार बढ़ गए हैं, तो ये कॉलोनियां आज भी कट रही हैं । इसलिए, हमारे मंत्री जी से मेरी हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जो नया मास्टर प्लान ? 2041 बन रहा है, कृपया उसके अंदर जीडीए पॉलिसी, जो आने वाली है और हमें सुनने में आ रहा है कि आएगी, उसको लागू किया जाए और उसके साथ में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया जाए । अगर यह पॉलिसी नहीं आएगी, आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मेरे लोक सभा क्षेत्र में ऐसे-ऐसे गाँव की जमीनें हैं, जहाँ पर दो करोड़ रुपया एकड़ में जमीन मिलती है । उसी से एक किलोमीटर दूर गुडगाँव में चले जाओ, तो वहाँ पर 20 करोड़ रुपये एकड़ में जमीन मिलती है । क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी पॉलिसी है । हमारी दिल्ली में पॉलिसी नहीं है । दिल्ली में अफवाह यह चलती है कि सारी कालोनियों की जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को बिल्डर्स ने खरीद लिया, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया । यह बात बिल्कुल सरासर गलत है । आज भी दिल्ली की 80 प्रतिशत एग्रीकल्चर लैंड वहाँ के

किसानों के पास है । इसलिए अगर कोई पॉलिसी आ जाएगी, सरकार मास्टर प्लान में कोई पॉलिसी लेकर आएगी तो हमारे किसानों को उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, ये नई कालोनियाँ कटने से बच जाएंगी और सारी अधिकृत कालोनियाँ ही आएंगी । मैं अपनी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि सर, कृपया जो मास्टर प्लान आएगा, उसी में जीडीए पॉलिसी को, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी ।

सर, अगर यह बिल आज जो हमारी सरकार स्पेशल प्रोविजन एक्ट सेकेंड (अमेंडमेंट) लेकर आ रही है, अगर आज यह नहीं आएगा तो क्या होगा, तो इन सारी कालोनियों के ऊपर केजरीवाल अपना बुलडोजर भेजकर चला देगा । सारे मकानों को तोड़ देगा । अगर इन मकानों को बचाने का काम आज हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो रहा है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आदि सभी को इसका समर्थन करना चाहिए ।

सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । आज तक जैसे हमारी सरकार ने हजारों, जो अंग्रेजों के टाइम के पुराने कानून थे, उन्हें खत्म किया । आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए दो कानून दिल्ली में चलते हैं और वे इस सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर चलते हैं । एक सैक्शन 81 है और एक सैक्शन 33 है । अब ये दो कानून क्या हैं? अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जरा सी भी दीवार बना ली तो सरकार उसको ग्राम सभा में वेस्ट कर देती है ।

सर, आज तो दिल्ली के सारे गाँव अर्बनाइज हो गए हैं । आज दिल्ली में इन धाराओं का कोई लॉजिक नहीं है । इसलिए मैं मेरी सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, जिन्होंने इस नए मास्टर प्लान पर रूचि ली है, यहाँ पर डीडीए के वीसी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि सैक्शन 81 को, सैक्शन 33 को, इन दोनों धाराओं को खत्म किया जाए और दिल्ली में जितने भी केस चल रहे हैं, उन सभी को खत्म किया जाए और सारी ग्राम सभा में वेस्ट की हुई जमीन को हमारे दिल्ली के किसान भाइयों को वापस की जाए ।

सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में काम किये और खासकर इन सारी अनाधिकृत कालोनियों में जो काम किए हैं, ये बहुत ही अभूतपूर्व हैं । सबसे पहले मैं बात करूँ कि एक अभी हमारे यहाँ पर अर्बन एक्सटेंशन रोड बनी है, वह 8 हजार करोड़ रुपये की रोड बनी है, सारी कालोनियों को आपस में जोड़ने का काम किया है । अगर उस रोड को किसी ने बनाने का काम किया है तो हमारी नेशनल हाइवे अथॉरिटी ने किया है । उसके लिए मैं हमारे मंत्री गडकरी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । साथ ही साथ मैं हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी को और डीडीए को धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से यह रोड बनी है । उसके साथ ही अभी आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बारे में सुना होगा । वहाँ पर 28 हजार करोड़ रुपये का ऐसा कन्वेंशन सेंटर सारी कालोनियों के बीच में बना है, तो उन कालोनियों में आज विकास करने की कोई बात कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उनके जीवन को अच्छा करने की बात कर रहा है, तो वह हमारी सरकार कर रही है ।

सर, इसी के साथ अभी रमेश जी ने भी बताया कि कालोनियों में 6 लाख एलईडी लाइट्स लगवाई गईं और स्वच्छ भारत मिशन में अभी 1190 करोड़ रुपये दिए गए । इसी के साथ स्वनिधि में अभी तक दो लाख लोगों को ऋण मिला है, उससे वे अपना रोजगार कर रहे हैं । दिल्ली में इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं । पीएम उदय योजना ऐसी योजना है, जो दिल्ली की सभी कालोनियों में रहने वाले लोगों के लिए लाइफ लाइन साबित हुई है । मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे एक ऐसी स्कीम लेकर आए कि एक ही झटके में उन्होंने दिल्ली के 50 लाख लोगों का जीवन सुरक्षित कर दिया, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत

दी, उनको स्वाभिमान दिया । मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी को धन्यवाद देता हूँ, सारे डीडीए के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ ।? (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** मान जी, आपको भी इस बिल पर बोलने का समय दिया जाएगा । आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री राहुल रमेश शेवाले जी ।

श्री राहुल रमेश शेवाले **(**मुम्बई दक्षिण-मध्य**):** धन्यवाद सभापति जी । मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूं और साथ ही इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह विधेयक अनधिकृत विकास की रक्षा के लिए प्रावधान की वैधता को अगले महीने की पहली तारीख से 3 वर्ष के लिए और विस्तार प्रदान करता है । यह विदित है कि पिछले कई वर्षों में दिल्ली में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण आवास, वाणिज्यिक स्थान तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग में वृद्धि हुई है । मांग और आपूर्ति के अंतर के परिणामस्वरूप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, मलिन बस्तियों का विकास, अनधिकृत निर्माण आदि की समस्या पैदा हुई है । ध्यान देने की बात यह है कि झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या पिछले दशक से दोगुनी हो गई है और भारत सरकार के वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई और दिल्ली के शहर में आबादी क्रमश: 41 परसेंट, 29 परसेंट, 28 परसेंट और 15 परसेंट झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं । इनमें औसतन 5 लोग 1 कमरे में गुजारा करते हैं । दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 700 एकड़ में झुग्गी-बस्तियां हैं और इनमें लगभग दस लाख लोग रहते हैं । दिल्ली में लगभग 90 परसेंट झुग्गियां अनियमित कालोनियों के रूप में सरकारी जमीन पर हैं । भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी-बस्तियों की संख्या महाराष्ट्र में है और मेरे संसदीय क्षेत्र धारावी में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, यहां रहने वालों की संख्या वर्ष 2001 में 52 मिलियन से बढ़कर 2011 में 60 मिलियन के करीब हो गई है । अब इनकी संख्या और भी बढ़ गई है । इस समस्या का हल ढूंढ़ना बहुत जरूरी है । सस्ता शहरी आवास और अपर्याप्त आपूर्ति की बढ़ती मांग ने मलिन बस्तियों को प्रोत्साहित किया है । जब भी शहरी घरों की मांग बढ़ती है तो उसे औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है । इससे बढ़ती जनसंख्या को झुग्गी-बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है । झुग्गी-बस्तियों के निवासी आम तौर पर सीमांत स्थानों जैसे डम्पिंग ग्राउंड में निवास करते हैं । शहरों में झुग्गी-बस्तियों के विस्तार का प्राथमिक कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन है । शहर अतिरिक्त आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं हैं जो अंतत: आवास की कमी, बेरोजगारी और मलिन बस्तियों के विकास जैसे कई समस्याओं का कारण बना है । इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है ।

महोदय, मलिन बस्तियों के प्रमुख कारक के रूप में पुराने शहरी नियोजन नियम हैं जिन्हें आम तौर पर झुग्गीवासियों द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है । पहले की सरकारें शहरी गरीब झुग्गीवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में शामिल करने में विफल हो गई है । इससे उनके जीवन स्तर में कहीं सुधार नहीं हुआ है और अभी भी झुग्गी-बस्तियों में लोग रहते हैं । तीन साल का प्रस्तावित विस्तार सम्पत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है । दरअसल यह विधेयक केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी बड़ी मेहनत करके लाए हैं और तीन साल का विस्तार देना बड़ी

राहत है । उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध सम्पत्तियों को सुरक्षित करने में संवेदनशीलता का परिचय दिया है । व्यापारी संगठन लम्बे समय से केंद्र सरकार से इसके लिए मांग कर रहे थे । यह विधेयक शहर में किसी भी कार्यवाही से उस समय तक, जब तक सरकार दिल्ली मास्टर प्लान लेकर आएगी जिसमें झुग्गियां, अनधिकृत कालोनियां, फार्म हाउस, गांव के आबादी क्षेत्र और अन्य मौजूदा भूमि नीति और विनियम की कमजोरियों की व्यवस्था के लिए एक रोडमैप देने की व्यवस्था करेगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूं जिसमें झुग्गी-झोपड़ियां, कलस्टर, अनधिकृत कालोनियां जैसे अनधिकृत विकास को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं । मुझे उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल निर्देशन में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान जल्दी ही तैयार हो जाएगा जिससे दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज होगी और दिल्ली एक विश्व स्तरीय शहर बनेगा ।

सभापति जी, विदेशी घुसपैठियों की झुग्गी-झोपड़ी में बसना एक बड़ी समस्या है । इस समस्या से निदान पाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करना भी बहुत जरूरी है । आज सभी बड़े शहरों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और झुग्गी-झोपड़ियों में गैरकानूनी गतिविधियों का अड्डा बन रही है । इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है । धन्यवाद ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Chairperson, Sir, I would like to start by thanking the hon. Members Shri Ramesh Bidhuri, Shri Parvesh Sahib Singh Verma and Shri Rahul Ramesh Shewale who have spoken on this Bill. Whilst lending their support to the Bill that is before us, they have also made some suggestions. Many of these suggestions are already under consideration. Given the limitations of time, I will respond to the suggestions I have heard.

Hon. Chairman, Sir, through you, I would also like to share with the hon. Members that the Master Plan, which I said is at the stage of finalization, will affect those who are living in the so-called unauthorized colonies for which we have already provided *malikana haq, Jahan jhuggi vahin makan* and land pooling has been referred to by several Members. What perhaps has not been referred to specifically by hon. Members, but I think which is at the back of everyone?s mind, is urban regeneration of old developed colonies, because I think this is part of the larger thing.

Sir, today the population of Delhi is in the vicinity of two and 2.5 crores. My reading based on my experience of the last six and a half years that I have been associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs, and with issues relating to the development of Delhi ? a city in which I was born, in which I grew up, a city which is rapidly changing ? is that out of the population of about two and 2.5 crore, about 40 lakh people will benefit from m*alikana haq.* While dealing with the subject of unauthorized colonies, we found that there are still some sections which were not

covered in the original list, which we had promised to sequentially take up after this process is complete. So, about 40 lakh people will be benefited by it. Then, *jahan jhuggi vahin makan* will benefit about 10 lakhs of people. And, when the land pooling will be finalized, it will cover something like 20,000 hectares in 138 sectors, and another 70 lakh people will benefit from that. So, these schemes will benefit about 1.20 crore people. Then, there are other colonies also which are due for redevelopment. So, Delhi is not only a city which is growing in population and in economic strength but it is also virtually being rebuilt.

Sir, my previous generation came here after 1947. They did the initial buildings. Today we have the privilege of sitting in the new Parliament Building. There are many projects that have come up like Central Vista, Bharat Mandapam, Yashobhoomi, and if you see all around there is redevelopment taking place at a massive scale.

Sir, my colleague and friend Shri Ramesh Bidhuri ji wanted the cut off date to be raised from 2014 to 2022, if I heard him correctly. I would just like to tell him that this Bill specifically seeks extension for the next three years. This extension will give us the time cushion and the flexibility to have wide-ranging consultations on policy matters and guidance on orderly development of the unauthorized colonies. I think my answer is intended to encompass the specific suggestion which has been made.

Sir, Shri Parvesh Sahib Singh Verma ji mentioned about the MPD-41. I have already taken the liberty, in anticipation, of saying something. I have already responded to the points on DDA and the land pooling policy which he mentioned. The Master Plan is at the stage of consultation, and I would say is at the stage of finalization now. We have made a lot of progress in formulating this policy, and we will see that ?substantial benefits? ? I am choosing my words carefully ? will accrue to the citizens of Delhi, all the stakeholders, who are there, the *kisan bhais* who own the land and all others.

15.00 hrs

We are now getting a more flexible approach to pooling so that little technicalities do not stand in the way.

I would, once again, thank my three colleagues who have spoken and all the others who will give support to this absolutely vital piece of legislation because it will give us an opportunity to ensure that the processes, which were started 20 or 30 years ago, in 2006 in particular, we are able now to finalise in an orderly manner

what will be required to be done under the Master Plan, also on all the other areas which flow from it and also the provision of *malikana haq* to those who are living in those unauthorised colonies, increase the pace of registration, the issuance of conveyance deeds and authorisation slips and we will be able to demonstrate that to everyone. रमेश जी ने कहा, शायद उनको लगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई । परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि डेवलपमेंट नॉर्म्स पिछले वर्ष पब्लिश हो गए हैं और उसके साथ हम यह भी डेमोंस्ट्रेट कर देंगे कि people who go for full authorisation, they can rebuild and they will also benefit economically.

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये जो 1739 कॉलोनीज़ छोड़ी गई हैं, इनमें कुछ एफ्युलेंट के नाम से 69 प्लस 3 कॉलोनीज़ छोड़ी गई थीं, उनका डेवलपमेंट, कुछ अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा, उस सर्वे में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पाई है । वे भी सेम स्टेटस की कॉलोनियां हैं । सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन एफ्युलेंट कॉलोनियों को तुरंत इसमें लिया जाए । सर, आप उनका डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दें । वे हैं, इसलिए उनको डिमोलिश तो कर नहीं सकते हैं । उनके बारे में माननीय मंत्री जी के क्या विचार हैं?

श्री हरदीप सिंह पुरी : सभापति महोदय, मुझे लगा कि मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वे ज़रा ज्यादा कंज़र्वेटिव थे । मैंने यह भी कहा कि जो कॉलोनीज़ पहली लिस्ट में आ गई थीं, हमने यह कभी नहीं कहा कि बाकी कॉलोनीज़ को हम टेकअप नहीं करेंगे । हमने कहा कि सिक्वेंशली, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और हमारे वे भाई-बहन रहते हैं, जिनको प्रायोरिटी अटेंशन चाहिए । जैसे ही यह कम्पलीट होगा, हम इसको करेंगे । मैंने यह कभी भी नहीं कहा । जो 69 कॉलोनीज़ हैं, जहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं, हम उनको भी टेकअप करेंगे । इस सरकार की शुरू से ही यह पोज़िशन रही है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से on the floor of the House, I am saying that these will also be taken up. I hope, this assures my colleague. I know that he has been looking to re-hear that answer from me. मैं कई बार उनसे कह चुका हूँ । पब्लिक फोरम में भी बोल चुका हूँ । I have no hesitation in repeating that on the floor of the House.

Thank you.

माननीय सभापति**:** प्रश्न यह है:

?कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

माननीय सभापति **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_____

15.05 hrs